

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3264
दिनांक 21 मार्च, 2023 / 30 फाल्गुन, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

जनप्रतिनिधियों पर हमले

+3264. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान नई दिल्ली जिले में जनप्रतिनिधियों पर या उनके आवासों पर हमले के कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन लोगों के आवासों पर हमले के मामले हुए हैं जिससे सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है और जनप्रतिनिधियों को खतरे का सामना करना पड़ा है;

(ग) क्या कुछ आवास इन उपद्रवियों के लगातार निशाने पर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी गतिविधियों के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर केस दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है;

(ङ) क्या अधिकांश मामले दिल्ली पुलिस के पुलिस मुख्यालय के पास रिपोर्ट किए जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसे लोगों और उनके आवासों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (च): दिल्ली पुलिस ने बताया है कि गत दो वर्षों में (28.02.2023 तक), नई दिल्ली जिले में जनप्रतिनिधियों के आवास पर हमले के चार मामले सामने आए हैं, जिनमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन चार मामलों में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सतर्कता बरतें और ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।